राजस्थान–सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 137 / 2021

बउनवान

हरिप्रताप पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी छत्रपुरा तहसील अटरू

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, कवाई

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.09.2021

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई के प्रकरण संख्या 283 / 2020 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.11.2020 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम छत्रपुरा की सरकारी भूमि किस्म बंजड सम्वत् 2077 में खसरा नम्बर 286 की रकबा 0.79 हैक्टर भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 395 /– रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 05.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने को कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नोटिस की [illegible] नहीं है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किये गये है। उक्त [illegible] की जमीन से लगी है। पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी म[illegible] जबकि अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.11.2020 नि[illegible] किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा क्योंकि अपीलांट ने ताव[illegible] की राशि भी जमा क[illegible] है। अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.11.2020 प्रकरण 283 / 2020 निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलांट को सजा व जुर्माने से बरी किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:30:34 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म बंजड पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाना अपने निर्णय में दर्शाया गया है किन्तु मूल पत्रावली में नोटिस की प्रति संलग्न नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट का कथन है कि उक्त विवादित आराजी उसके खाते की आराजी से लगी हुई है जिसपर उसका कब्जा नहीं हैं। पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाना अपने निर्णय में दर्शाया गया है किन्तु मूल पत्रावली में नोटिस की प्रति संलग्न नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 283/2020 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 05.11.2020 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि नायब तहसीलदार, कवाई आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जॉच करावे, यदि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम छत्रपुरा तहसील अटरू के खसरा नम्बर 286 की रकबा 0.79 हैक्टर भूमि किस्म बंजड पर कब्जा नहीं पाया जावें तो नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 283/2020 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2020 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.11.2020 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:30:34 IST
Reason: SelfAttested